दैनिक जागरण

जीवन में रिश्ते से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन रिश्तों में जीवन हो

युवाओं की भूमिका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम 'मन की बात' में जो कुछ कहा उससे और खासकर इस बात से असहमत नहीं हुआ जा सकता कि आज के युवा सिस्टम को पसंद करते हैं और वे न केवल उसका पालन करते हैं, बल्कि यदि सिस्टम ढंग से काम न करे तो सवाल भी करते हैं। वास्तव में हम सब भारत की उस युवा पीढ़ी का उभार देख भी सकते हैं जो न केवल नियम-कायदों के हिसाब से चलना पसंद कर रही है, बल्कि यह भी चाह रही है कि अन्य सभी ऐसा करें। किसी भी देश की ऐसी युवा पीढ़ी व्यवस्था को बदलने के साथ ही उस माहौल का निर्माण करने में भी सहायक बनती है, जो पुराने ढर्रे को बदलने के लिए आवश्यक होता है। विडंबना यह है कि कुछ लोग और खासकर नेताओं का एक वर्ग अभी भी पुराने ढर्रे पर चलना पसंद कर रहा है। यही कारण है कि व्यवस्था में बदलाव और सुधार की कोशिशों का विरोध होते हुए दिखता है। यह विरोध वे लोग करते हैं जो भाई-भतीजावाद, परिवारवाद और अपारदर्शी व्यवस्था के पोषक हैं। इनका बस चले तो वे शायद कोटा-परमिट वाली व्यवस्था को फिर से लागू करने की वकालत करने लगें। सच तो यह है दबे-छिपे स्वरों में यह वकालत होती भी है।

प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि आने वाले दशक को गति देने में वे लोग ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है। इससे इन्कार नहीं कि बीते वर्षों में व्यवस्था के स्तर पर काफी कुछ बदला है, लेकिन यह भी सही है कि अभी बहुत कुछ बदले जाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति में सजग और अनुशासनप्रिय युवाओं की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। संभवतः उनकी इसी भूमिका को रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री ने यह कहा कि देश के युवाओं को अराजकता, अव्यवस्था आदि से चिढ़ है और वे परिवारवाद, जातिवाद को पसंद नहीं करते। प्रधानमंत्री ने यह बात हाल के दिनों में नागरिकता कानून और नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों का उल्लेख किए बगैर कही। इसके पीछे उनका मंतव्य कुछ भी हो, न तो इस हिंसा की अनदेखी की जा सकती है और न ही इसकी कि युवाओं को किस तरह भड़काकर सड़कों पर उतारा गया। सबसे खराब बात यह रही कि इस दौरान संसद से पारित कानून को सड़क पर खारिज करने की जिद की गई। इसका सीधा मतलब है कि युवाओं को अराजकता से दूर रहने के साथ ही उन शक्तियों से सतर्क रहने की भी जरूरत है जो उन्हें गुमराह करती हैं। ध्यान रहे कि इसी की जरूरत चंद दिन पहले सेना प्रमुख ने भी जताई थी।

शिक्षक सिर्फ पढ़ाएं

बिहार के सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील के लिए इंतजाम करना, रोज बच्चों की गिनती कर उतना खाना तैयार करवाना, सुरक्षित ढंग से बच्चों को खिलाना और फिर हर चीज का हिसाब रखना...। स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रभारी शिक्षक की यह रोज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें गड़बड़ी भी होती है। अक्सर मध्याह्न भोजन को लेकर गड़बड़ी, हंगामा या दुर्घटना की खबरें आती हैं। अब सरकार यह व्यवस्था कर रही है कि शिक्षकों के जिम्मे मध्याह्न भोजन का काम नहीं रहेगा। सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की ही जवाबदेही रहेगी। शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि मिड डे मील से शिक्षकों को मुक्त करने पर स्कूली शिक्षा में सुधार लाने की गति और तेज होगी। केंद्र ने इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। कई अन्य राज्य भी यही चाहते हैं। दरअसल स्कूली शिक्षा को लेकर कई सर्वे आए हैं। उनके नतीजे स्कूली शिक्षा की गड़बड़ी को दिखाते हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। योग्य शिक्षकों का अभाव भी है। नियोजन या पंचायत स्तर पर शिक्षकों की बहाली की गई, ताकि इस कमी को दूर किया जा सके, लेकिन बहाली की प्रक्रिया और अधिसंख्य शिक्षकों की योग्यता हमेशा सवालों के घेरे में रही। शिक्षा का अधिकार कानून में तय अनुपात के तहत 25 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। विभिन्न विद्यालयों से सूचनाएं आती हैं कि वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। इसके अलावा शिक्षकों के जिम्मे और भी कई कार्य हैं। छात्रवृत्ति, पोशाक योजना, साइकिल योजना के स्कूल से जुड़े तमाम कार्य भी शिक्षकों को करने पड़ते हैं। प्रधानाचार्य स्कूल भवन की मरम्मत, रंगाई और नए भवन के निर्माण संबंधित कार्य भी देखते हैं। शिक्षक अगर ऐसे कार्य करेंगे, तो पढ़ाएंगे कैसे? वैसे भी शिक्षक तो पठन-पाठन का प्रशिक्षण लेकर आते हैं। भोजन से लेकर भवन तक के कुछ कार्य उनके जिम्मे दिए जाएंगे, तो वह कुशलतापूर्वक कर पाएंगे कि नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। होना यह चाहिए कि स्कूलों में योग्य शिक्षक बहाल हों और वह सिर्फ पठन-पाठन से जुड़े कार्य करें। अन्य प्रशासनिक कार्य के लिए सरकार स्कूल स्तर पर प्रबंधक नियुक्त कर सकती है। इससे शिक्षकों का बोझ घटेगा और स्कूल संचालन की व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।

शिक्षकों के जिम्मे पढ़ाने के अलावा अन्य कई कार्य रहते हैं, लेकिन मध्याह्न भोजन पढ़ाई के रास्ते में बड़ी रुकावट है। इससे छुटकारा मिलने से पढ़ाई की स्थिति सुधर जाएगी। इससे शिक्षकों का बोझ घटेगा और स्कूल संचालन की व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।

संवैधानिक मूल्यों को बचाने का समय

पी चिदंबरम

एनआरसी-सीएए-एनपीआर की कवायद संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। यही वजह है कि तमाम लोग विशेषकर छात्र इनका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं

पहले कार्यकाल में तमाम नाकामियों के बावजूद मोदी सरकार इस साल और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। ऐसे में उसके शासन में देश के सूरतेहाल की पड़ताल करना जरूरी हो जाता है। इसमें सबसे पहले तो आर्थिक मोर्चे की चर्चा आवश्यक होगी जहां रोजाना बुरी खबरों की भरमार दिखती है। विनिर्माण उत्पादन 3.8 प्रतिशत तक सिकुड़ गया, निर्यात पस्त है, आयात सुस्त है, कर्ज की वृद्धि मंद है और निवेश में गिरावट का रुख है। वहीं महंगाई लगातार बढ़ने पर है। मोदी सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन ने मौजूदा आर्थिक सुस्ती को असाधारण बताया है। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था आइसीयू में जाने के कगार पर है।

वहीं राजव्यवस्था की बात करें तो दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने उन मोर्चों पर ही कदम उठाया जिनका आम आदमी से कोई खास सरोकार नहीं था, मगर ये मुद्दे दक्षिणपंथी राजनीति के अगुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इनमें तत्काल तीन तलाक कानून, असम से शुरू हुई एनआरसी की कवायद, अनुच्छेद 370 की समाप्ति एवं जम्मू-कश्मीर का विभाजन और जल्दबाजी में पारित कराए गए नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए जैसे मुद्दे शामिल थे। इसके चलते आज भारतीय राजनीतिक परिदृश्य साल भर पहले की तुलना में अधिक विखंडित और अस्थिर हो गया है। सामाजिक सौहार्द एवं शांति को भी गहरा आघात पहुंचा। रोजाना हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। चिंतित करने वाली बात यही है कि पूरी दुनिया ने अब इस पर गौर करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी आईना दिखाने से परहेज नहीं किया।

मोदी सरकार के दौरान संस्थानों का पराभव भी देखने को मिला है। तमाम संस्थान अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहे हैं। इसमें चुनाव आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे संस्थान सबसे आगे हैं। सूचना आयोग भी अपने अर्थ खोता जा रहा है। तमाम अन्य संस्थाएं भी सिर्फ सरकार की खुशामद में लगी हैं। फिर भी ऐसे स्याह दौर में कुछ अपवाद जरूर हैं। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति भी मोदी सरकार के दौर में कोई बहुत अच्छी नहीं है। आए दिन देश के तमाम हिस्सों से भयावह आपराधिक मामलों की खबरें आती रहती हैं। तिस पर कुछ हिंसक मामलों पर सत्तासीनों की चुप्पी और सालती है।

इन सबसे इतर एक हालिया मुद्दे की पड़ताल बहुत जरूरी होगी और वह मुद्दा है एनआरसी, सीएए एवं उनके परिणामों का। इसमें सबसे पहले तो यही देखना होगा कि अगर सीएए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस यानी एनआरसी के साथ लागू किया तब क्या होगा? सीएए में 31 दिसंबर, 2014 की मियाद तय की गई है। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह धार्मिक समूहों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसियों को शामिल किया गया है। वास्तव में यह पक्षपातपूर्ण एवं असंवैधानिक है। आखिर इसमें इन तीन देशों को ही क्यों शामिल किया गया और श्रीलंका, म्यांमार, भूटान को क्यों छोड़ा गया? फिर इन तीन देशों के मुस्लिम नागरिकों को बाहर क्यों रखा गया? दक्षिण एशिया के सर्वाधिक प्रताड़ित अल्पसंख्यकों में श्रीलंका के तमिल सबसे ऊपर आएंगे जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं। म्यांमार के रोहिंग्या, पाक के अहमदिया, शिया, बलूची और सिंधी के अलावा भूटान के ईसाइयों की स्थिति भी ऐसी ही है। सीएए में उन्हें क्यों छोड़ा गया? सीएए के पक्षपातपूर्ण प्रावधान को ऐसे भी समझ सकते हैं कि तीन देशों के हिंदुओं को तो भारत में प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन श्रीलंकाई तमिल हिंदुओं को नहीं। इसी तरह भूटान के ईसाई भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ऐसा क्यों? चयन का ऐसा पैमाना समझ से परे है।

सीएए में यह भी स्पष्ट नहीं कि अवैध नागरिक माने जाने वालों का क्या होगा? उन्हें कैंपों में भेजे जाने की चर्चा है। असम के ग्वालपाड़ा जिले में 46 करोड़ रुपये की लागत से एक ऐसे कैंप का निर्माण हो रहा है जिसमें 3,000 लोग रखे जा सकते हैं। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं। जैसे इसमें यदि लाखों लोग चिन्हित हुए तब ऐसे कितने कैंप बनाए जाएंगे? सरकार उनके निर्माण के लिए संसाधन कहां से लाएगी? क्या अवैध आव्रजक जीवनपर्यंत इन कैंपों में रहेंगे? भारत में जन्मे उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या उन्हें भी कैंपों में रखा जाएगा? ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिले।

एनआरसी भारत को विभाजित करने वाली भयावह और शातिर योजना है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक होने के सुबूत देने होंगे। उदार लोकतंत्रों में यही व्यवस्था है कि नागरिकता पर संदेह की स्थिति में उसकी जांच राज्य का दायित्व है। इसके उलट एनआरसी में यह संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। यदि यह दुराग्रही पैमाना असम में लागू हो तो वहां 19,06,657 लोग अवैध आव्रजक माने गए। उनमें से अधिकांश बेहद गरीब और कमजोर तबके के लोग हैं। कोई नहीं जानता कि उनका क्या भविष्य होगा।

बहरहाल एनआरसी और सीएए की जुगलबंदी से सबसे ज्यादा भारतीय मुसलमान प्रभावित होंगे। बाकी धार्मिक समूह अगर एनआरसी के तहत बाहर हो जाएंगे तो उन्हें सीएए के जरिये जोड़ लिया जाएगा। इसकी गाज केवल मुस्लिमों पर गिरेगी जो अगर एनआरसी में अवैध आव्रजक पाए गए तो उन्हें सीएए का सहारा भी नहीं मिलेगा। यही वजह है कि भारतीय मुसलमानों में इसे लेकर इतने भय और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।

इस पर हुए व्यापक विरोध-प्रदर्शन ने सरकार को फिलहाल कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया जबकि गृहमंत्री और अन्य मंत्री अतीत में इसकी ताल ठोंकते आए हैं। ऐसे में सरकार अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर लेकर आ रही है जिसे 2010 में हुई जनगणना से जोड़ने का प्रयास भी किया। वैसे 2010 के एनपीआर और 2020 के एनपीआर में जमीन-आसमान का अंतर है। एनपीआर 2010 चुनिंदा राज्यों में ही कराया गया था जिसमें न तो कहीं कोई विवाद हुआ और न ही असम जैसा कोई विषम अनुभव। उसमें सीएए जैसी कोई आशंका भी नहीं थी। साथ ही एनपीआर 2010 में केवल 15 क्षेत्रों के आंकड़ों को शामिल किया गया था। इसके उलट एनपीआर 2020 पूरे देश में कराया जाएगा। यह असम एनआरसी और सीएए के अनर्थकारी अनुभव की पृष्ठभूमि के साथ संपन्न होगा। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म में भी तमाम अन्य सूचनाएं मांगी जाएंगी जिनका जनगणना से कोई लेनादेना नहीं होगा। यह एक तरह से एनआरसी जैसी कवायद होगी जिसका पुरजोर विरोध बेहद जरूरी है।

एनआरसी-सीएए-एनपीआर की कवायद असल में आरएसएस-भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के उपकरण हैं। भारतीय संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए प्रत्येक देशभक्त भारतीय का दायित्व है कि वह हिंदू राष्ट्र की घातक अवधारणा का विरोध करे। यही वजह है कि भारतीयता के विचार और संविधान की रक्षा के लिए तमाम लोग विशेषकर छात्र सड़कों पर विरोध के लिए उतरे हैं।

(लेखक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

response@jagran.com

सामाजिक तानेबाने पर प्रहार का प्रयास

हरदीप एस पुरी

कुछ लोग नागरिकता कानून की आड़ में दुष्प्रचार से भारत के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने की जुगत में लगे हैं

पिछले कई दिनों से विपक्षी दल नागरिकता संशोधन कानून, 2019 यानी सीएए को लेकर सरकार विरोधी अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कानून के बारे में लोगों को जानबूझकर गलत जानकारी देने, उन्हें डराने, उनकी भावनाएं भड़काने और देशहित के विरुद्ध उकसाने तथा हिंसा भड़काने का काम किया। झूठा प्रचार करते हुए इन लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों के गांधीवादी सिद्धांतों के विपरीत पथराव, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, आगजनी और पुलिस बलों पर हमला करने के प्रयास किए। इनमें से कुछ तो विदेशी हस्तक्षेप की हिमायत करने की सीमा तक भी चले गए।

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों सीएए पर सरकार के रुख के बारे में लोगों विशेषकर युवाओं की गलतफहमी को दूर करने के लिए प्रभावी तरीके से सभी बातों को समझाया। इसके बाद से देश भर में लोगों ने राजनीतिक रूप से प्रेरित विपक्षी सक्रियता और देश-विदेश में उनके द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार के बावजूद भी शांतिपूर्ण रैलियों के माध्यम से सीएए की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया है।

दरअसल सीएए लगभग सात हजार साल पुरानी विविध और समावेशी भारतीय सभ्यता की पुष्टि करता है। संवैधानिक गणराज्य के रूप में हमारे आधुनिक राष्ट्र का अस्तित्व हमारे इतिहास के केवल एक प्रतिशत हिस्से को ही दर्शाता है। हमारी सभ्यता की विरासत का समावेशी चरित्र इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि मालाबार के यहूदी, सीरिया के ईसाई, पूर्ववर्ती फारस के पारसी या मेरे माता-पिता जो विभाजन की हिंसा के दौरान देश छोड़कर चले गए थे, सभी को हमारे देश में सुरक्षित स्थान मिला है। सीएए हमारी सभ्यता से जुड़े मूल्यों की निरंतरता है और इससे हमें प्रेरणा मिलती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न एक सच्चाई है। वहां इन तबके के लोगों को सिर्फ इसलिए तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि वे अपने धर्म का पालन करना चाहते थे। सीएए वहां से पलायन कर भारत आने वाले ऐसे सभी पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करेगा।

सीएए में जिन चीजों का प्रावधान नहीं है, वे भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यह धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, जातीयता या नस्ल के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों को न तो चुनौती देता है और न ही इसमें कोई बदलाव करता है। अधिनियम के संबंध में यह दुष्प्रचार कि भारतीय मुसलमानों को खतरा है, अज्ञानता से भरा और उनके साथ छल करने के समान है। इसे लेकर धार्मिक आधार पर नागरिकों के मन में डर पैदा करना और युवाओं को भड़काना राजनीति का सबसे निचला स्तर है, जो ब्रिटिश राज की याद दिलाता है।

सीएए भारत के तीन पड़ोसी देशों के नागरिकों के लिए देश की नागरिकता प्रदान करने का 'खुला निमंत्रण' भी नहीं है, जैसा कि विपक्षी दल दुष्प्रचार कर रहे हैं। यह केवल उन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा, जो 31 दिसंबर, 2014 की निर्धारित तिथि के पहले से भारत में हैं, लेकिन उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। यह नई दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने के समान है।

सीएए में एक समुदाय विशेष को शामिल नहीं किए जाने के बारे में भी जानबूझकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है। यह कहा जा रहा है कि यह इन तीनों देशों में उत्पीड़न का सामना करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी) के लिए ही है। यह भी झूठ है। दरअसल ये देश इस्लामी गणराज्य हैं। इसलिए इस्लामिक देशों में धार्मिक आधार पर मुस्लिम उत्पीड़न का सवाल नहीं उठना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मुसलमान इन देशों में अन्य कारणों से प्रताड़ित किए जाते हैं, वे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते। वास्तव में पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार ने इन देशों के ही 600 मुसलमानों को नागरिकता प्रदान की है। इसलिए सीएए पर विपक्ष का यह प्रचार कि यह कानून मुस्लिम विरोधी है तथा भारत की धर्मनिरपेक्ष साख को खोखला करता है, सरासर झूठा है।

सीएए के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देने का प्रयास भी किया गया है। अनुच्छेद 14 का व्यापक अध्ययन यह बताता है कि सीएए जैसे अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसमें उचित वर्गीकरण का प्रावधान किया गया है। इस कानून को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। यह ऐतिहासिक रूप से भेदभाव के शिकार हुए लोगों को उनका अधिकार देता है। आधुनिक भारत में तिब्बत, श्रीलंका, युगांडा या बांग्लादेश के सभी शरणार्थियों को शरण दी गई है। सीएए मानवाधिकारों के प्रति इस प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं करता, बल्कि यह भारत की ओर से मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की पुष्टि करता है। सीएए को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के साथ जोड़ने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 दिसंबर को स्पष्ट किया था कि सरकार ने एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं की है। एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केवल असम तक ही सीमित है। सीएए और एनआरसी के बीच रहस्यमय जुड़ाव के पीछे कांग्रेस और उसके तथाकथित 'धर्मनिरपेक्ष सहयोगी दलों' की वोट बैंक की मानसिकता है। वोट बैंक की इस राजनीति को लोगों ने सबसे पहले 2014 में नकारा और 2019 में इसकी और बुरी पराजय हुई।

स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन में कहा था कि 'मुझे ऐसे देश का नागरिक होने पर गर्व है, जिसने सभी धर्मों और दुनिया के सभी देशों के शरणार्थियों को आश्रय प्रदान किया है।' मोदी सरकार ने भारत की इसी विरासत पर आधारित कानून बनाया है। सीएए देश में पहले से ही रहने वाले लोगों की सुरक्षा की पुनःपुष्टि करता है। झूठे प्रचारों से प्रभावित हो कुछ लोग भारत के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीयों की जिम्मेदारी है कि इन शक्तियों को नकारें और अपनी विरासत के मूल्यों को सहेज कर रखें।

(लेखक केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

स्वयं को देखें

व्यक्ति को व्यथित एवं बेचैन करने वाली मनोवृत्ति अभावरूप में नहीं, भावरूप है। भाव की उत्तेजित अवस्था प्रायः इसलिए होती है कि अन्य लोग क्यों इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? जबकि वह वस्तु उसके पास नहीं है। प्रायः मनुष्य इसलिए दुखी नहीं रहता कि उसके पास भवन, वस्त्र एवं सुविधायुक्त वस्तुएं क्यों नहीं हैं? दूसरों के पास ऐसी वस्तुएं क्यों उपलब्ध हैं, इस तथ्य से व्यक्ति अधिक परेशान रहता है। कुछ लोगों में यह प्रवृत्ति अधिक विकसित होती है। किसी को नया वस्त्र, आभूषण चाहिए। ऐसी अनेकानेक बातें निरंतर उसके मन में अशांति उत्पन्न किए रहती हैं।

मेरे एक रिश्तेदार के यहां एक शिक्षित महिला आई। रिश्तेदार की पत्नी अशिक्षित थी। उसके पास कोई ऊंचा विषय बात करने के लिए नहीं था। वह बोली, 'आपके हाथ खाली हैं? चूड़ियां क्यों नहीं पहनतीं? मेरी चूड़ियां छह तोले की हैं, सुंदर लगती हैं ना?' सुशिक्षित महिला बोली, 'आजकल इन चूड़ियों का प्रचलन नहीं है। मेरी घड़ी दो सौ पैंतीस रुपये की है, समय सही देती है, देखो! कितनी अच्छी है?' धनी महिला के मन में बात बैठ गई। शिक्षित महिला के हाथ घड़ी और वह बिना घड़ी। दूसरे ही दिन उससे भी अच्छी घड़ी उसके हाथ में थी। समय देखना तो आता नहीं था। फिर भी अति प्रसन्न थी। उसका अहं शांत हो चुका था। 'दूसरों से अच्छे रहें'-यह भाव मनुष्य की अशांति, आंतरिक दुख और ईर्ष्या का कारण होता है। मन बेचैन रहता है। सब कुछ होते हुए भी मनुष्य अतृप्त रहता है। ईर्ष्या एक छूत से फैलने वाले रोग के सदृश शीघ्र ही विकसित होने वाला मनोभाव है।

याद रखिए, आप चाहे सब कुछ पा लें, परंतु फिर भी किसी-न-किसी वस्तु का अभाव सदा बना ही रहता है। अभाव मानव-मस्तिष्क की प्रबलतम कमजोरी है। उत्तम मनुष्य वही है, जो कल्पना के मायाजाल एवं ईर्ष्या जैसे मनोविकार के वश में न होकर अपनी प्राप्त वस्तुओं का ही सबसे उत्तम उपयोग करता है। स्वयं में काने बनकर दूसरे को अंधा देखना अनर्थकारी है। अपने साथ भी ईमानदारी से कार्य कीजिए। अपनी ओर भी निहारिए।

डॉ. विजय प्रकाश त्रिपाठी

बच्चों की सेहत का सवाल

अनीश कुमार

खिलौनों की गुणवत्ता को लेकर देश में एक मानक तय होने चाहिए, ताकि बच्चों की सेहत पर ये भारी न पड़ें

क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में आयात किए जाने वाले 67 प्रतिशत खिलौने सुरक्षा मानकों की सभी जांच में खरे नहीं उतरे हैं। ऐसे में आयातित खिलौनों की गुणवत्ता को लेकर सोचा जाना जरूरी है, क्योंकि देश में बिकने वाले लगभग 85 प्रतिशत खिलौने दूसरे देशों से आते हैं। यह सच है कि खिलौने बच्चों की खुशी से जुड़े होते हैं। ये उनके दिन-रात के साथी होते हैं। छोटे बच्चे तो खिलौनों को मुंह में भी डालते हैं, लेकिन इनमें मौजूद खतरनाक रसायनों और धातुओं से उनकी सेहत को सहेजने के साथ ही सुरक्षात्मक पहलुओं पर भी सोचा जाना जरूरी है। इन हानिकारक चीजों का असर बच्चों के मानसिक विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता, एलर्जी और थॉयरायड सिस्टम को प्रभावित करने से लेकर कैंसर तक की वजह बन सकता है।

भारत ही नहीं दुनियाभर में खिलौनों का बड़ा कारोबार है। आंकड़े बताते हैं कि भारत का घरेलू खिलौना उद्योग करीब 5000 करोड़ रुपये का है। प्लास्टिक खिलौनों ने बाजार पर कब्जा जमाया हुआ है। प्लास्टिक के नरम खिलौनों को बनाने में इस्तेमाल होने वाला रसायन थायलेट मासूम बच्चों की सेहत के लिए बेहद नुकसानदायी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट के अनुसार थायलेट से बच्चों में कई तरह की बीमारियां होती हैं। इस हानिकारक रसायन से बच्चों की किडनी और लीवर पर बुरा असर पड़ने के साथ ही हड्डियों के विकास में कमी आती है। चिंतनीय है कि कई खिलौने दोबारा इस्तेमाल की गई प्लास्टिक से भी बनाए जाते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक री-साइकिल प्लास्टिक से बने खिलौनों में सेहत के लिए बेहद हानिकारक रसायन डायोक्सिन काफी मात्रा में पाया जाता है। डायोक्सिन की खिलौनों में मौजूदगी बच्चों को गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती है। अफसोस कि हमारे यहां सस्ते, सुंदर और टिकाऊ के फेर में री-साइकिल प्लास्टिक से बने खिलौने खूब खरीदे भी जाते हैं। कुछ समय पहले अंतरराष्ट्रीय संगठन आइपैन ने भी खिलौनों में जहर पर एक अध्ययन जारी किया था। कई देशों से खिलौनों के नमूने लेकर की गई जांच में पाया गया था कि करीब 32 प्रतिशत खिलौनों में आर्सेनिक, लेड और पारा चिंताजनक स्तर से भी ज्यादा होते हैं। गौरतलब है कि इस अध्ययन के लिए नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों से खिलौनों के नमूने लिए गए थे। ऐसे में भारत में खिलौनों की गुणवत्ता की स्थिति समझना मुश्किल नहीं है।

हमारे यहां अधिकतर खिलौने चीन से आते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 60 फीसद खिलौने चीन से आयात किए जाते हैं। गुणवत्ता के मामले में अधिकतर चीनी वस्तुएं हमेशा सवालों के घेरे में ही रहती हैं। ऐसे में अभिभावकों का जागरूक होना आवश्यक है। बच्चों की सेहत से समझौता नहीं किया जा सकता। इसीलिए खिलौनों की गुणवत्ता को लेकर हमारे अपने देश में मानक तय होने चाहिए, ताकि खिलौनों से खेलना मासूम बच्चों को खुशहाल बचपन दे न कि बीमारियां।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

विपक्षी राजनीति को समझने की जरूरत

संजय गुप्त द्वारा अपने आलेख 'भाजपा के सबक सीखने का समय' में झारखंड की हार के लिए क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा को ही प्रमुख वजह मान लेना, इस हार की हकीकत का एक पक्ष भर है। इसका दूसरा स्याह पक्ष ये है कि मोदी के पराक्रम से हाशिये पर पहुंच चुकी कांग्रेस अब पुनः भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दलों के सहयोग से अपनी शक्ति को संजोने में कामयाब होने लगी है। इस तथ्य की अनदेखी करना भी चकित कर देने वाली झारखंड पराजय की एक वजह बन गई। ऐसे में अब भाजपा को इस विपक्षी राजनीति को ठीक से समझने की जरूरत है। कांग्रेस द्वारा संघ और भाजपा के लिए की जाने वाली भ्रामक बयानबाजी और नागरिकता कानून की ओट लेकर पूरे देश में अराजक स्थिति पैदा करने वाली घातक चाल को हल्की राजनीति मान लेना भी भाजपा के लिए नुकसानदेय साबित हो रहा है। हालांकि नागरिकता कानून को लेकर विपक्ष द्वारा भड़काए गए मुस्लिम वर्ग को थामने के लिए जहां एक ओर भाजपा शासित राज्यों में उपद्रवी तत्वों की पहचान कर उन पर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर उप्र की योगी सरकार द्वारा तीन तलाक से उत्पीड़ित महिलाओं के लिए छह हजार रुपये सालाना की आर्थिक मदद की घोषणा करके मुस्लिम महिलाओं को अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम वर्ग को अपना निजी वोटबैंक मानने वाली कांग्रेस की राजनीतिक चालों को नाकामयाब करने के लिए भाजपा द्वारा देश के मुस्लिम वर्ग को यह संदेश देना जरूरी है कि वह राष्ट्रघाती उपद्रव को भी प्रच्छन्न आतंकवाद मानकर दंगाइयों के विरुद्ध कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन इससे देश के शांतिप्रिय मुस्लिम वर्ग को विचलित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रभावी और निष्पक्ष शासन के लिए देश के अपराधियों और शांतिप्रिय नागरिकों में भेद करना जरूरी है। इसके साथ ही भाजपा को यह भी समझना होगा कि राज्यों में पर्याप्त जनाधार होने के बाद भी क्षेत्रीय दलों के साथ ठीक से समन्वय स्थापित न कर पाने की उसकी अपनी कमजोरी से भी विपक्ष मजबूत हो रहा है।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

मोदी-शाह के भरोसे पार्टी

दैनिक जागरण के 26 दिसंबर के अंक में प्रदीप सिंह का लेख, भाजपा के सामने चुनौती और अवसर, पढ़ा। लेखक ने सही विश्लेषण किया है। भाजपा के सांसद और विधायक यही मान रहे हैं कि उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नही है, सब कुछ मोदी और शाह करेंगे। यह सोच इस पार्टी में हावी है। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जब-जब धर्म की हानि होती है, मैं साधुजनों की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेता हूं। यह बात तो भाजपा के लोगों ने गांठ बांध ली, लेकिन श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बार-बार शस्त्र उठा कर युद्ध करने को भी कहा है। गीता का सबसे बड़ा संदेश ही कर्म करने में ही छुपा है। मोदी और शाह तो देश व पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के वे लोग जो सत्ता में हैं वे कुछ करना नहीं चाहते। अगर वे खुद कुछ नहीं करेंगे तो हरियाणा और झारखंड की तरह अन्य चुनाव भी हारते चले जाएंगे। अभी दिल्ली का चुनाव आ रहा है, लेकिन दिल्ली में पार्टी का सर्वमान्य नेता कौन है यह आपसी खींचतान की वजह से तय नहीं हो सका है। सभी अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रहे हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी में आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता को अराजकता में बदलने में देर नहीं लगती है। हर देश, हर पार्टी, हर घर, हर समाज किन्हीं नियम कायदों से ही चलता है। यह बात सभी पार्टियों पर लागू होती है, लेकिन यह भाजपा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें भले ही पार्टी हाईकमान के प्रति नाराजगी न हो, लेकिन आपस में समन्वय बहुत अच्छा नहीं है।

ओपी जैन, सूरजमल विहार, दिल्ली

झारखंड में भाजपा की हार

झारखंड में भाजपा की हार की मुख्य बड़ी वजह झामुमो, कांग्रेस और राजद का एक मजबूत गठबं